

**कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर**

**आदेश**

**प्रारूप-6**

निम्नांकित कार्मिक जो व्याख्याता-हिन्दी के रूप में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय/संस्था में कार्यरत हैं, को अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है -


क्र.सं	नाम भय पदस्थापन स्थान राउमावि	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	गोपाल प्रसाद शर्मा, हीरापुरा- जयपुर	04.04.1958	30.04.2018
2	जगदीश चन्द्र शर्मा, रूद-चित्तौडगढ	02.05.1958	31.05.2018
3	शारदा शर्मा, जोजरो का खेडा-चित्तौडगढ	09.05.1958	31.05.2018
4	फतह सिंह, पानेरियो की मादडी, उदयपुर	12.05.1958	31.05.2018
5	सुशीला जैन, चित्तौडगढ-चित्तौडगढ	05.06.1958	30.06.2018
6	मंजु लता व्यास, चित्तौडगढ -चित्तौडगढ	08.06.1958	30.06.2018
7	महेन्द्र कुमार जोशी, बलून्दा- पाली	01.07.1958	30.06.2018
8	सापेसर राजनट, खौड- पाली	07.07.1958	31.07.2018
9	सफी मोहम्मद, गरनिया- पाली	22.07.1958	31.07.2018
10	धर्मनारायण आमेटा, फतह नगर, उदयपुर	28.07.1958	31.07.2018
11	नगीन कुमार ओझा, सुमेरपुर- पाली	14.08.1958	31.08.2018
12	शिवलाल मारू, फालना गांव- पाली	24.08.1958	31.08.2018
13	सोहनलाल जाट, थामला- उउयपुर	06.09.1958	30.09.2018
14	भगवतीलाल आमेटा, कवरपदा- उदयपुर	08.09.1958	30.09.2018
15	मंगला दीक्षित, बा0 कुराबड- उदयपुर	12.09.1958	30.09.2018
16	पूनाराम मेधवाल, सायरा- उदयपुर	01.10.1958	30.09.2018
17	मंवर सिंह पंवार, बांगरेडा- चित्तौडगढ	08.10.1958	31.10.2018
18	अशोक कुमार शर्मा, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान- बीकानेर	15.10.1958	31.10.2018
19	चंचल जोशी, बा0 सिंहपुर- चित्तौडगढ	04.11.1958	30.11.2018
20	रामशंकर शर्मा, धोवडा- बूंदी	10.11.1958	30.11.2018
21	चुतराराम विरायच, बोरीमादा- पाली	21.11.1958	30.11.2018
22	गुणमाला जैन, वीरधोलिया- उदयपुर	30.11.1958	30.11.2018
23	सोहनलाल आमेटा, पलानाकला- उदयपुर	15.12.1958	31.12.2018
24	गोपाल लाल ओझा, चैची-चित्तौडगढ	01.01.1959	31.12.2018
25	नाथूलाल रेगर, देई - बूंदी	01.01.1959	31.12.2018
26	मंवरलाल आमेटा, गादोली-मावली-उदयपुर	10.01.1959	31.01.2019
27	मल्हार सिंह मराठा, बिलोदा(डूंगला) चित्तौडगढ	17.03.1959	31.03.2019
28	पदमावती चौहान, भदेसर-चित्तौडगढ	25.03.1959	31.03.2019
29	सन्ध्या वर्मा, बा0 मारवाड जक्शन- पाली	28.03.1959	31.03.2019
1	गोपाल प्रसाद शर्मा, हीरापुरा- जयपुर	04.04.1958	30.04.2018
2	जगदीश चन्द्र शर्मा, रूद-चित्तौडगढ	02.05.1958	31.05.2018
3	शारदा शर्मा, जोजरो का खेडा-चित्तौडगढ	09.05.1958	31.05.2018
4	फतह सिंह, पानेरियो की मादडी, उदयपुर	12.05.1958	31.05.2018
5	सुशीला जैन, चित्तौडगढ-चित्तौडगढ	05.06.1958	30.06.2018
6	मंजु लता व्यास, चित्तौडगढ -चित्तौडगढ	08.06.1958	30.06.2018
7	महेन्द्र कुमार जोशी, बलून्दा- पाली	01.07.1958	30.06.2018
8	सापेसर राजनट, खौड- पाली	07.07.1958	31.07.2018
9	सफी मोहम्मद, गरनिया- पाली	22.07.1958	31.07.2018
10	धर्मनारायण आमेटा, फतह नगर, उदयपुर	28.07.1958	31.07.2018
11	नगीन कुमार ओझा, सुमेरपुर- पाली	14.08.1958	31.08.2018
12	शिवलाल मारू, फालना गांव- पाली	24.08.1958	31.08.2018
13	सोहनलाल जाट, थामला- उउयपुर	06.09.1958	30.09.2018

*(Handwritten signature)*

14	भगवतीलाल आमेटा, कवरपदा- उदयपुर	08.09.1958	30.09.2018
15	मंगला दीक्षित, बा0 कुराबड- उदयपुर	12.09.1958	30.09.2018
16	पूनाराम मेघवाल, सायरा- उदयपुर	01.10.1958	30.09.2018
17	भंवर सिंह पंवार, बांगरेडा- चित्तौडगढ	08.10.1958	31.10.2018
18	अशोक कुमार शर्मा, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान- बीकानेर	15.10.1958	31.10.2018
19	चंचल जोशी, बा0 सिंहपुर- चित्तौडगढ	04.11.1958	30.11.2018
20	रामशंकर शर्मा, धोवडा- बूंदी	10.11.1958	30.11.2018
21	चुतराराम विरायच, बोरीमादा- पाली	21.11.1958	30.11.2018
22	गुणमाला जैन, वीरधोलिया- उदयपुर	30.11.1958	30.11.2018
23	सोहनलाल आमेटा, पलानाकला- उदयपुर	15.12.1958	31.12.2018
24	गोपाल लाल ओझा, चैची-चित्तौडगढ	01.01.1959	31.12.2018
25	नाथूलाल रेगर,	01.01.1959	31.12.2018
26	भंवरलाल आमेटा, गादोली-मावली-उदयपुर	10.01.1959	31.01.2019
27	मल्हार सिंह मराठा, बिलोदा(डूंगला) चित्तौडगढ	17.03.1959	31.03.2019
28	पदमावती चौहान, भदेसर-चित्तौडगढ	25.03.1959	31.03.2019
29	सन्ध्या वर्मा, बा0 मारवाड जक्शन- पाली	28.03.1959	31.03.2019

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित व्याख्याताओं के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-18 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

  
(अनिल डिंडेल)


निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

दिनांक : 09/03/18

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/10908/सेवानिवृत्ति/हिन्दी/2017-18

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. संबंधित शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक)
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
4. संबंधित संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक को सेवानिवृत्त करने से पूर्व उपरोक्त प्रमाणिकरण की भलिभांति जांच करें।
5. संबंधित कार्मिक
6. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर



## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

श्री दयाकृष्ण चतुर्वेदी, व्याख्याता (गणित), राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भवानी मण्डी (झालावाड़) जिनकी जन्मतिथि 16.06.1963 है, का निधन दिनांक: 19.01.2018 को हो जाने के फलस्वरूप दिनांक: 19.01.2018 से इनकी सेवाएँ समाप्त की जाती है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री दयाकृष्ण चतुर्वेदी के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-3/15044/सेवा समाप्ति/भौगक/2015-16

दिनांक:- 12-3-18

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग, कोटा ।
2. संबंधित उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा, कोटा ।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) झालावाड़ ।
5. प्रधानाचार्य, राउमावि, भवानी मण्डी (झालावाड़) ।
6. आश्रित स्व. श्री दयाकृष्ण चतुर्वेदी, व्याख्याता गणित ।
7. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
8. अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठता/एसीआर/एबी/ओएसी प्रभाग ।
9. निजी/रक्षित पत्रावली ।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक).  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-3/15044/सेवानिवृत्ति/भौगक/2015-16

दिनांक-12-3-18

### :: कार्यालय आदेश ::

निम्नांकित कार्मिक जो व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) के रूप में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय/संस्था में कार्यरत हैं, को अधिवार्षिकी आयु पूरी कर लेने पर नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है -

क्र.सं.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (राउमावि)	विषय	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	सुनील कुमार कौशिक, सोटवारा (झुन्झुनू)	भौतिक	22.09.1958	30.09.2018
2.	मंगलाराम चौधरी, रायपुर मारवाड़ (पाली)	गणित	05.06.1958	30.06.2018
3.	गौरी शंकर, सिंघाना (झुन्झुनू)	गणित	01.03.1959	28.02.2019
4.	सुभाष चंद्र गौतम, सवाई माधोपुर	कृषि	30.08.1958	31.08.2018

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित व्याख्याताओं के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

  
(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-3/15044/सेवानिवृत्ति/भौगक/2015-16

दिनांक-12-3-18

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. संबंधित निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान
2. संबंधित शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक)
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
4. संबंधित शाला-संस्था प्रधान/कार्मिक
5. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
6. निजी एवं रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर


**कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर**  
**:: कार्यालय आदेश ::**

**प्रारूप-6**

श्री रणधीर सिंह, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मालसर जिला चूरु मे कार्यरत थे, जिनकी जन्मतिथि 09.09.1959 है. जो कि दिनांक 11.01.2018 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्त से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके है।


यह प्रमाणित किया जाता है कि उप नामित श्री रणधीर सिंह, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मालसर जिला चूरु के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम -16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम -19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीनच /लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/ए-2-7/प्रपत्र-6/से.संतोष/2018 दिनांक : 09.03.18  
प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, बीकानेर
2. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, चूरु
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), चूरु
4. कोषाधिकारी, चूरु
5. प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मालसर जिला चूरु
6. श्री रणधीर सिंह, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मालसर जिला चूरु
7. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोकर करने का श्रम करें।
8. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर